न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल.आर.गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 74/2017 अपील

श्री प्रभुलाल पिता नारायण बलाई निवासी काबरी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा	बनाम	राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, जहाजपुर
–अपीलार्थी		–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार, जहाजपुर बमामले
प्रकरण सं0 326/2016 निर्णय दिनांक 07.11.2016

उपस्थित –
श्री मनीष कुमार कांटिया अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 12.06.2017

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश तहसीलदार जहाजपुर बमामले प्रकरण सं0 326/2016 निर्णय दिनांक 07.11.2016 के खिलाफ दिनांक 15.03.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवार हल्का बरोदा तहसील जहाजपुर ने अपीलार्थी द्वारा ग्राम काबरी के आराजी नम्बर 264/78 रकबा 5.00 बीघा भूमि पर अवैध तरीके से अतिक्रमण किया है। इस अतिक्रमण मामले में अपीलार्थी के विरूद्व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरूद्व मामला दर्ज कर धारा 91 नियम 3 के तहत नोटिस जारी कर दिनांक 07.11.2016 को निर्णय पारित कर अपीलाण्ट को 15 दिन के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया व उक्त भूमि से बेदखल करने का आदेश व शास्ति लगान 2.50 का 50 गुणा 125/–रू. अधिरोपित कर मौके से बेदखल करने का निर्णय पारित किया जिससे व्यथीत होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है । अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर द्वारा दिये गये निर्णय / दण्ड आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है जो विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने

योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया व अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजियात पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर बयान लेकर उक्त निर्णय दण्ड आदेश पारित किया जो अपास्त योग्य है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी पर अपना कब्जा नहीं होने व कब्जा छोड़ देने के बावजूद भी पटवार हल्का रिपोर्ट आधार पर उक्त निर्णय / दण्ड आदेश पारित किया जो विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है । अतः अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किया जाने का आदेश प्रदान फरमावें ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 21.03.2017 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड तलब किया गया।

अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी पर अपना कब्जा नहीं होने व कब्जा छोड़ देने के बावजूद भी पटवार हल्का रिपोर्ट आधार पर उक्त निर्णय / दण्ड आदेश पारित किया जो विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है । बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र पटवार हल्का की रिपोर्ट के आधार पर बयान लेकर उक्त निर्णय /दण्ड आदेश पारित किया जो विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपित कार्यवाही समाप्त किया जाने का आदेश प्रदान करावें ।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील के समर्थन में विधिक दृष्टान्त आर आर टी 2003(1) प्रहलाद बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, आर आर टी 2006-2007(Supp.) मोहननाथ बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, आर आर टी 2009(2) 558 तेजा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, आर आर टी 2014(1) इब्राहीम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, आर आर टी 2011(2) लादूराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान प्रस्तुत किये ।

रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि श्री प्रभुलाल पिता नारायण बलाई निवासी काबरी के द्वारा ग्राम काबरी के आराजी नं. 264/78 रकबा 139.01 बीघा भूमि किस्म गेमु. मगरी में से 5.00 बीघा भूमि पर अतिक्रमण करने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत तहसीलदार जहाजपुर द्वारा प्रकरण सं. 326/2016 दर्ज कर धारा 91 नियम 3 के तहत

नोटिस जारी कर प्रभुलाल पिता नारायण बलाई द्वारा विगत वर्ष में भी अतिक्रमण कार्यवाही में बेदखल करने पर पुनः अतिचार कर लेने से पश्चातवर्ती अतिचार करने के कारण 15 दिवस के सिविल कारावास एवं शास्ति 125/–रू. से दिनांक 07.11.2016 को दण्डित किया गया है जो नियमानुसार है। उक्त अतिकमण आराजी नं. 264/78 बिलानाम सरकार किस्म गेमु. मगरी की होकर आवंटन नियमन योग्य भी नहीं है । अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर का निर्णय यथावत रखे जाने का आदेश प्रदान करावें ।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि वर्तमान में उक्त आराजी नं. 264/78 रकबा 5.00 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में किस्म गेमु. मगरी दर्ज रिकार्ड है । अतिकमी का उक्त अतिचार पश्चातवर्ती होकर विगत वर्ष भी अतिकमी ने उक्त भूमि पर अतिचार किया। जिसकी मिसल कायम कर अतिकमी को मौके से बेदखल करने एवं शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया। जिसकी पालना में पटवारी हल्का ने अतिकमी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर बेदखली नामा प्रस्तुत कर भौतिक रूप से बेदखल किया परन्तु अतिकमी ने उक्त आराजी पर पुनः अतिकमण कर लिया । उक्त आराजी किस्म गेमु. मगरी भूमि है । अतिकमी की देखा देखी कर अन्य व्यक्ति भी राजकीय भूमि पर अतिकमण करने के प्रयासरत है ।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार आराजी नं० 264/78 रकबा 5.00 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर लिये जाने से प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया और अपीलान्ट को अतिकमी मानते हुए अतिक्रमण से बेदखल किये जाने के साथ साथ 15 दिवस के सिविल कारावास की सजा भुगताए जाने व उक्त भूमि के वार्षिक लगान का 50 गुणा आर्थिक जुर्माना कुल 125/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश भी पारित किया गया था। नियत पेशी दिनांक को अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित भी हुआ और उसके द्वारा विवादग्रस्त आराजी पर अपना अतिक्रमण भी स्वीकार किया है। जिससे स्पष्ट हैं कि अपीलान्ट के द्वारा उक्त राजकीय बिलानाम भूमि पर अनाधिकृत रूप से पश्चातवर्ती अतिकमण करने का अपराध किया है। जिससे विधिक दृष्टान्त आर आर टी 2003(1) प्रहलाद बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, आर आर टी 2006–2007(Supp.) मोहननाथ बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, आर आर टी 2009(2) 558 तेजा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान,

आर आर टी 2014(1) इब्राहीम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, आर आर टी 2011(2) लादूराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान इस प्रकरण पर लागू नहीं होते है ।

अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट को दोषी मानते हुए अपीलाधीन आदेश से दण्डित करते हुए शास्ति का आरोपण किया जाकर 15 दिवस के सिविल कारावास की सजा से व अर्थदण्ड से दण्डित किया जाकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का जो आदेश पारित किया गया हैं वह युक्तियुक्त होकर विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय ने इसमे कोई त्रुटि नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाने योग्य हैं एवं अपील अपीलार्थी खारिज योग्य है। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 विरूद्ध आदेश तहसीलदार, जहाजपुर बमामले प्रकरण सं0 326 /2016 निर्णय दिनांक 07.11.2016 के कम में खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.11.2016 यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जहाजपुर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/06/17

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा